न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 28/2021 .एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2021/35

1. हरीराम } पुत्रगण सुगनाराम जाति जाट निवासी पंचारा उर्फ अमरपुरा
2. डालूराम } तहसील लूनकरणसर।
3. मनीराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी ढाणी पाण्डूसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मनाफरसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू —अभिभाषक अपीलांट
श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 18.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट्स के नाम से कृषि भूमि वाके रोही ग्राम पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूनकरणसर में खसरा नंबर 886/641 तादादी 24.12 बीघा, ख.नं. 887/641 तादादी 24.12 बीघा एवं 890/643 तादादी 6.17 बीघा कुल तादादी 56.01 बीघा खातेदारी पुश्तैनी कब्जा एवं काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि मौजा रोही पंचारा उर्फ अमरपुरा के खसरा नंबर 644 तादादी 15.02 बीघा, ख.नं. 645/1 तादादी 9.10 बीघा भूमि के संबंध में पत्थरगढ़ी कराने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश से पूर्व ना तो सुना गया और ना ही आदेश के बारे में कोई जानकारी दी गई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक 20.08.2020 के बाद किसी भी फर्द अहकाम पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाकर बिना मौका रिपोर्ट तलब किये, बिना प्रार्थना पत्र लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसीलदार लूनकरणसर या अप्रार्थीगण का जवब प्राप्त किये, बिना वास्तविक कब्जा काश्त की जांच किये पारित आदेश वाइड आदेश की परिभाषा में आने के कारण शून्य है, जिस पर कोई मियाद लागू नहीं होने के कारण मियाद जानकारी के दिन दिनंक 21.06.2021 को दौराने कोरोना काल हल्का पटवारी द्वारा मय पुलिस बल पहुंचने पर हुई तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड काल में सभी प्रकरण में मियाद की छूट प्रदान की गई है। इसलिए अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। अपीलांट्स की उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर पुश्तैनी समय से कब्जा एवं काश्त पूर्वजों का एवं तत्पश्चात् अपीलांट का चला आ रहा है, परंतु मौके परउक्त कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी एवं नक्शा नहीं होकर खातेदारी भूमि से कम भूमि है। रेस्पो. सं. 1 ना तो भूमि का आवंटी है ना ही कहीं भी मौके पर एक इंच भूमि ही कब्जा काश्त में है। मात्र भू–माफियों लोगों से सांठ–गांठ कर अमला माल से भूमि का अंकन अपने नाम से करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एल आर एक्ट की धारा 101 के प्रावधानों के विपरीत बिना वास्तविक कब्जा की जांच करवाए अपीलाधीन आदेश मनमाना विधि विरूद्ध प्रदान कर कानूनी भूल की है। वास्तविक पजेशन हेतु अपीलंट्स का मौके पर ट्यूबवैल वर्ष 2009 से चालू है, जिसके सबूत में विद्युत बिल अपील के साथ प्रस्तुत है। अपीलांट्स ने अपना धन एवं श्रम व्यय कर भूमि को काबिल कानून बनाया है। कृषि भूमि मौके पर राजस्व रेकार्ड एवं अक्स में दर्ज भूमि से पहले ही कम हैं, जिसमें मात्र अक्स को आधार बनाकर अपीलांट के कब्जे काश्त शुदा मौके पर प्रटिटया एवं तारबंदी लगाकर कच्ची पक्की ढ़ाणी का निर्माण किया जाकर ट्यूबवैल से सिंचाई कर फसल काश्त है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट. द्वारा अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं :–

- आर.आर.डी. 2017 पेज नंबर 289
- आर.आर.डी. 1993 पेज नंबर 720

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट स्वयं की खातेदारी भूमि है तथा कब्जे काश्त में चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में वादगत भूमि के सींवजोड़ काश्तकारों को सुनकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के आदेश दिये है। अपीलांट की भूमि वादगत भूमि से अलग खसरों में है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपना पक्ष रखने के लिए अभिभाषक नियुक्त किया था, जिसने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी अनापति जाहिर भी की है। ऐसी स्थिति में अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 में वर्णित तथ्य तथा शपथ–पत्र झूठे है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्पष्टतया मियाद बाहर पेश है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4– हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, अभिभाषकगण द्वारा पेश प्रपत्र–3 के संलग्न दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 पारित करते हुए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश पारित कर दिये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र व शपथ–पत्र में उल्लेखित तथ्यों व बहस उभय पक्ष पर मनन करते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि का तरमीम करवाये बिना केवल पटवार हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये इकतरफा आदेश पारित किया हैं, जो विधि विरूद्ध है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर